(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14 (6)/LA-2004/49 **Dated:10th Feb., 2005**

NOTIFICATION

No.F.14 (6)/LA-2004/ The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Hon'ble Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the 24th January, 2005 and is hereby published for general information: -

"THE DELHI PLASTIC BAG(MANUFACTURE, SALES AND USAGE) AND NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) (AMENDMENT) ACT, 2004
(DELHI ACT 2 OF 2005)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 22nd December, 2004)

(24th January, 2005)

An Act to amend the Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 2000

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title and commencement.** - (1) This Act may be called the Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-Biodegradable Garbage (Control) (Amendment) Act, 2004.

   (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of long title and the preamble.** - In the Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 2000 (Delhi Act 6 of 2001) (hereinafter referred to as "the principal Act"), -

   (a) in the long title, for the words, figures and brackets "the Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-Biodegradable Garbage (Control)", Act, 2000, the words, figures and brackets **"the Delhi *Degradable* Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) Act, 2000"** shall be substituted;

   (b) in the preamble, after the word "roads" and before the word "and", the words "river, river bed" shall be inserted.

3. **Amendment of section 1.** - In the principal Act, in section 1 -

   (a) in sub-section (1), for the words, figures and brackets "the Delhi Plastic Bag (Manufacture, Sales and Usage) and Non-Biodegradable Garbage (Control)Act, 2000", the words, figures and brackets " **the Delhi *Degradable* Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) Act, 2000** " shall be substituted;

   (b) in sub-section (3), after the words "such date" and before the words "as the Government", the words "in respect of such

DVS

sections and chapters and in respect of such persons, groups, institutions, associations, and business establishments, as the case may be, shall be inserted.

4. **Amendment of section 2.** - In the principal Act, in section 2 -

(i) for clause (b), the following shall be substituted, namely: -

"(b) "bio-degradable garbage" means garbage that can be degraded by micro-organisms;

(bb) "degradable plastic bag" means a plastic bag designed to undergo a significant change in its chemical structure under specific environmental conditions, resulting in a loss of some properties that may be measured by standard methods appropriate to the plastic and the application in a period of time that determines its classification, as prescribed;

(bbb) "Delhi Pollution Control Committee" means the committee constituted by the Central Pollution Control Board for the National Capital Territory of Delhi under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);

(ii) for clause (c), the following shall be substituted, namely: -

"(c) "foodstuff" means ready to eat food and food products, fast food, processed and cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;";

(iii) for clause (h), the following shall be substituted, namely: -

"(h) "non-biodegradable garbage" means garbage that cannot be degraded by micro-organisms and are more specifically included in the Schedule of this Act;";

(iv) for clause (k), the following shall be substituted, namely: -

"(k) "pigments" means chemical substances used in manufacturing recycled, coloured ***degradable*** plastic bags;".

5. **Amendment of section 3.** - In the principal Act, in section 3 –

(a) in the shoulder heading, for the words "**manufacture, sale, etc.**", the words "**manufacture, sale and usage** " shall be substituted;

(b) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely: -

"(1) No person shall himself or by any person on his behalf manufacture for sale, sell and use any recycled plastic bags or containers for storing, carrying or packing of foodstuff within the National Capital Territory of Delhi."

6. In the principal Act, after Chapter II, the following new Chapter II A shall be inserted, namely :-

" CHAPTER-II A

PROHIBITON OF *MANUFACTURE, SALE AND* USAGE OF PLASTIC BAGS OTHER THAN *DEGRADABLE PLASTIC BAGS IN THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI*

3A. Prohibition of manufacture, sale and usage. - *No person shall manufacture for sale, sell and use any plastic bag other than degradable plastic bag in the National Capital Territory of Delhi."*

7. **Amendment of section 4.** - In the principal Act, in section 4 –

(a) for the shoulder heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Prohibition of throwing garbage, and 'samagri'(religious material) in river bed, river, public places, drains, sewer, etc.**"-;

(b) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) No person, by himself or through another, shall, knowingly or otherwise, throw or cause to be thrown in any drain, ventilation shaft, pipe and fittings, connected with the private or public drainage works and in river and river beds, any garbage which is likely to-

(i) impair proper functioning of the drainage, sewage system and river;
(ii) interfere with the free flow or affect the treatment and disposal of the drain, sewage contents and river;
(iii) be dangerous or cause a nuisance or be prejudicial to public health;
(iv) be ingested by stray animals leading to serious health hazards.";

(c) in sub-section (2) –

(i) for words "bio-degradable or non-biodegradable garbage in any public place", the words "garbage in any public place, river or river bed" shall be substituted;

(ii) for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) the garbage is placed in the designated garbage receptacle; or".

8. **Amendment of section 5. -** In the principal Act, in section 5 -

(i) after clause (b), the following shall be inserted, namely :-

"(bb) provide designated enclosures for throwing 'samagri' (religious material) in river Yamuna;";

(ii) after clause (e), the following shall be inserted, namely:-

"(f) only degradable plastic bags shall be placed in the bio-degradable garbage bins."

9. **Substitution of new section for section 7. –** In the principal Act, for section 7, the following shall be substituted, namely: -

"7. **Power of local authority for removing non-biodegradable garbage**. – The local authority may, by notice in writing, require the owner or occupier or part-owner, or person claiming to be the owner or part owner of any land or building, which has become a place of unauthorized stacking or deposit of non-biodegradable garbage and likely to occasion a nuisance, remove or cause to be removed the said garbage so stacked or collected or thrown into the river and if, in its opinion, such stacking or collection or throwing of non-biodegradable waste is likely to harm the river, river bed, drainage and sewage system or is likely to be dangerous to life and health of human beings, it shall forthwith take such steps as may be necessary at the cost of such person or persons."

10. **Amendment of section 8. -** In the principal Act, in section 8 –

(a) the opening brackets and figure "(1)" shall be omitted;

(b) for the words "non-biodegradable plastic bags for purposes other than those mentioned in section 3", the words "degradable plastic bags" shall be substituted;

(c) after the word "form" and before the words "as may be", the words "and paying the fees" shall be inserted.

(d) in clause (a), for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely :-

"(i) degradable recycled plastic bags;";

(e) after clause (c) , the following shall be inserted, namely :-

"(d) the degradable plastic bags shall meet the international/national quality standards and to be certified by a Government / Government approved laboratory in the manner prescribed under the rules.".

11. Amendment of section 10. - In the principal Act, in section 10, in sub-section (1), in clause (a), for the words "which shall not be less than three months but which may extend to one year", the words "which may extend to three months" shall be substituted.

12. Substitution of new section for section 12. – In the principal Act, for section 12, the following shall be substituted, namely:-

"**12. Offences by local bodies.** – Any officer of any local body who willfully fails to implement any provision of this Act shall be deemed to be guilty of the offence under section 5 of this Act and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly."

13. Substitution of new section for section 15 – In the principal Act, for section 15, the following shall be substituted, namely:-

"**15. Direction by the Government.** – The local authority and the Delhi Pollution Control Committee shall carry out such directions as may be issued to them, from time to time, by the Government for the efficient administration of this Act."

14. **Amendment of section 20. -** In the principal Act, in section 20, in sub-section (2), -

(i) clause (a) shall be re-lettered as clause (aa) and before the clause (aa) as so re-lettered, the following shall be inserted, namely:-

"(a) prescribing the standard methods of measurement of degradability of plastic bags;" ; - section 2 (bb).

(ii) after clause (b), the following shall be inserted, namely :-

"(bb) prescribing the manner of certification of degradability of plastic bag by a Government/Government approved laboratory;". – section 8 (1) (d).

(V.K. Bansal)
Joint Secretary (Law, Jus. & L.A.)

DVS

(दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(6)/एल.ए.-2004/ 49 दिनांक 10/2/05

संख्या फा0 14 (6)/एल.ए.-2004 : उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 24.1.2005 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है !

दिल्ली प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 (दिल्ली अधिनियम संख्या : 2 वर्ष 2005)

24.1.2005

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा दिनांक 22.12.2004 को यथा पारित !

दिल्ली प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000 में संशोधन के लिए

एक
अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

1 **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

(1) इस अधिनियम को दिल्ली प्लास्टिक थैलियाँ (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाए।

(2) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2 **विस्तृत शीर्षक में संशोधन तथा प्रस्तावना** : दिल्ली प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) (यहाँ बाद में "मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित)

(क) विस्तृत शीर्षक में " दिल्ली प्लास्टिक थैलियाँ (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूडा कर्कट (नियंत्रण)" अधिनियम, 2000 शब्दों अंको तथा कोष्ठकों के स्थान पर **"दिल्ली . अवक्रमित प्लास्टिक थैलियाँ (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000"** शब्दों अंको तथा कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) प्रस्ताव में "सड़के" शब्द के पश्चात् तथा "और" शब्द से पहले शब्दों के स्थान पर "नदी, नदी तल" शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा।

3 **धारा 1 का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा 1 में :-

(क) उपधारा (1) में " दिल्ली प्लास्टिक थैलियाँ (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूडा कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000" शब्दों अंको और कोष्ठकों के स्थान पर **"दिल्ली**

अवक्रमित प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग) तथा कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2000'' शब्दों अंको और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (3) में ''ऐसी तारीख'' शब्दों के पश्चात् तथा ''जैसा सरकार'' शब्दों से पूर्व ''ऐसी धाराओं तथा अध्यायों के संबंध में तथा ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, संघों तथा व्यापार स्थापनाओं के संबंध में जैसी भी स्थिति हो'' शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा।

4 **धारा 2 का संशोधन** – मूल अधिनियमों की धारा 2 में :–

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

''(ख) ''जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट'' का अर्थ है वह कूड़ा जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा अवक्रमित किया जा सकता है;

(ख ख) ''अवक्रमित प्लास्टिक थैली'' का अर्थ है ऐसी प्लास्टिक की थैली जो विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों के अधीन रसायनिक ढ़ाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार की गई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ गुणों (लक्षण) में कमी हो सकती है जिसे प्लास्टिक की समूचित स्तरीय पद्धति तथा निश्चित अवधि में मानक द्वारा मापा जा सकता है जो इसके वर्गीकरण को निर्दिष्ट करती है जैसा निर्धारित किया गया है।

(ख ख ख) '' दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति'' का अर्थ है – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन तथा वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति।

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;–

''(ग) ''खाद्य पदार्थ'' का अर्थ है– खाने के लिए तैयार भोजन तथा खाद्य उत्पाद, फास्ट फूड, पका हुआ भोजन, तरल, पाउडर, ठोस या अर्धठोस रूप में संसाधित ।''

(iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"(ज) "गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट" का अर्थ है वह कूडा कर्कट जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा अवक्रमित नहीं किया जा सकता तथा इस अधिनियम की अनुसूची में और अधिक विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है।"

(iv) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;–

" (झ) **"रंगो"** का अर्थ है पुनरावर्तित, रंगीन, प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण में प्रयुक्त रसायनिक पदार्थ ।"

5. **धारा 3 का : संशोधन** मूल अधिनियम की धारा 3 में –

(क) उपशीर्षक में **"विनिर्माण, बिक्री इत्यादि"** शब्दों के स्थान पर **"विनिर्माण बिक्री तथा प्रयोग"** शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुनरावृतित प्लास्टिक थैलियों या किसी प्रकार की खाद्य वस्तु के भंडारण, लाने लेजाने या पैक करने के लिए पात्रों की बिक्री, बेचने या प्रयोग के लिए विनिर्माण नहीं करेगा।

6. मूल अधिनियम में अध्याय दो के पश्चात् निम्नलिखित नए अध्याय दो–क को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :–

"अध्याय– दो क

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों के अतिरिक्त प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग पर निषेध

तीन क. विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग पर निषेधः— कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों की बिक्री, बेचने तथा प्रयोग के लिए विनिर्माण नहीं करेगा।"

7 **धारा 4 का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"सार्वजनिक स्थलों, नालियों, सीवरों इत्यादि में कूड़ा कर्कट तथा सामग्री (धार्मिक सामग्री) फेंकने पर प्रतिबंध"—;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जान—बूझकर या किसी अन्य तरीके से निजी या सार्वजनिक नालियों से संबंधित किसी नाली, पाइप तथा फिटिंग में नदी या नदी तलों में किसी प्रकार का कूड़ा कर्कट न फेंकेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे निम्नलिखित संभावना हो,

(i) जल निकासी एवं सीवर व्यवस्था की उपयुक्त कार्य प्रणाली को अवरूद्ध करना;

(ii) निर्बाध गति से प्रवाह में बाधा या नालियों और सीवर प्रणाली के शोधन और निपटान में प्रभाव, तथा

(iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरा या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

(iv) लावारिस पशुओं द्वारा अन्तरग्रहण से गंभीर स्वास्थ्य खतरों के उत्पन्न होने के संभावना।

(ग) उपधरा (2) में :—

(i) "किसी भी सार्वजनिक स्थल में जैव अवक्रमित या गैर जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट" शब्दों के स्थान पर "किसी भी सार्वजनिक स्थल, नदी या नदी तल में कूड़ा—कर्कट" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) कूड़ा कर्कट निर्दिष्ट कूड़ेदान में रखा जाता है या"

8 **धारा 5 का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा 5 में :—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख ख) यमुना नदी में "सामग्री" (धार्मिक सामग्री) फेंकने के लिए विशेष स्थल की व्यवस्था;"

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) केवल अवक्रमित प्लास्टिक थैलियाँ ही जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट डिब्बों में रखे जाएंगे।"

9 **धारा 7 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापित** : मूल अधिनियम की धारा 7 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

7. गैर जैव अवक्रमित कूड़ा हटाने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति :— स्थानीय प्राधिकारी लिखित में सूचना द्वारा उस भूमि या भवन के मालिक या अधिभोगी या आंशिक मालिक या उसके या आंशिक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस भूमि या भवन जो अप्राधिकृत कूड़े का ढेर है या गैर अवक्रमित कूड़े को जमा करने का स्थान अप्राधिकृत है या जनता के लिये परेशानी उत्पन्न कर सकता है तो वह उक्त कूड़े को हटायेगा या हटवायेगा तथा यदि उसके विचार से ऐसा ढेर या गैर–जैव अवक्रमित के संग्रहण से नदी, नदी तल, नाली और सीवर प्रणाली को खतरा होने की संभावना है या लोगों के स्वास्यि और जीवन को खतरा है, तो वह तुरन्त ऐसे उपाय करेगा जो इसके लिए आवश्यक होंगे।

10 **धारा 8 का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा 8 में :—

(क) आरंभिक कोष्ठकों तथा अंक "(1)" को हटाया जाएगा;

(ख) "धारा 3 में उल्लिखित के अतिरिक्त अन्य प्रयोगों के लिए गैर जैव अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों" शब्दों के स्थान पर "अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) "तरीका" शब्द के पश्चात् तथा "जैसा भी हो" शब्दों से पूर्व "तथा शुल्क भुगतान करना" शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा;

(घ) खंड (क) में उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) अवक्रमित पुनरावृतित प्लास्टिक थैलियाँ"

(ङ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) अवक्रमित प्लास्टिक थैलियाँ अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करेगी तथा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में प्रमाणित की जाएगी।

11 **धारा 10 का संशोधन** : मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(1) के खंड (क) में "जो तीन माह से कम नहीं होगी लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है" शब्दों के स्थान पर "जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12 **धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** : मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"12. स्थानीय निकायों द्वारा अपराधः— किसी भी स्थानीय निकाय का कोई अधिकारी जो जानबूझकर इस अधिनियम के किसी उपबंध को क्रियान्वित नहीं करता उसे इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसे अपराध का दोषी माना जाएगा तथा तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तद्नुसार सजा दी जाएगी।"

13 **धारा 15 के स्थान पर नई धारा का** मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	प्रतिस्थापन		"15 सरकार द्वारा निर्देशः– स्थानीय अधिकारी तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसे निर्देशों के पालन करेगी जो उसे इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें जारी किए जा सकते है।
14	धारा 20 का : संशोधन		मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) में, :–
		(i)	खंड (क) को खंड (क क) के रूप में लिखा जाएगा तथा खंड (क क) से पूर्व निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:– "(क) प्लास्टिक थैलियों की अवक्रमिता के माप की स्तरीय पद्धति को निर्धारित करना" –धारा 2 (ख ख)
		(ii)	खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:– "(ख ख) सरकार/सरकार द्वार अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा प्लास्टिक थैली की अवक्रमिता के प्रमाणन की पद्धति निर्धारित करना" –धारा 8 (1) (घ)

वी० के० बंसल
(संयुक्त सचिव)
विधि एवं न्याय